प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 78/ 2020)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा 'साइबर सुरक्षा'' पर वेबीनार का आयोजन

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने बंगलुरु स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से दिनांक 21 सितम्बर, 2020 को ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफार्म' के माध्यम से 'साइबर सुरक्षा'' पर वेबीनार का आयोजन किया।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार सेवाओं से संबंधित उपभोक्ता के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन करता है। इस विषय के विशेषज्ञों को इस विषय पर भागीदारों को जानकारी प्रदान करने के निए आमंत्रित किया गया था। महामारी की वर्तमान स्थिति में, ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था जहां उपभोक्ता अपने घरों और कार्यालयों में बैठे हुए ऑनलाइन इस कार्यक्रम में भागीदारी कर सकें।

3. श्री श्रीनिवास एस0 गलगली, सलाहकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, बंगलुरु ने भागीदारों का स्वागत किया तथा इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। वेबीनार का उद्घाटन, श्री एस0 के0 गुप्ता, सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने की। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य के साथ ही इस विशेष वेबीनार के विषय पर महत्व तथा तर्कसंगतता को स्पष्ट किया। उन्होंने दूरसंचार उपभोक्ताओं द्वारा सायबर विश्व में सामना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खतरों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता तथा इस प्रकार के खतरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के तरीकों को उजागर किया। श्री संजीव बैजल, सलाहकार (आईटी एंड सीए), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सॉयबर अपराधों, विशेषरूप से पहचान की चोरी से संबंधित जालसाजी पर भाषण दिया।

4. वेबीनार में सायबर सुरक्षा के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हुए सत्र आयोजित किए गए। सीआईडी कर्नाटक पुलिस के सॉयबर सुरक्षा प्रभाग के श्री एम0 डी0 शरथ ने सॉयबर अपराधों तथा भारतीय परिदृश्य में सॉयबर कानूनों पर भाषण दिया। डीएससीआई के निदेशक श्री के0 वेंकटेश मूर्ति ने डिजिटल न्यायालयी विज्ञान– कौशल के सेट तथा अवसरों पर बात की। कर्नाटक एचडीएफसी बैंक के जोखिम आसूचना और नियंत्रण– भुगतान व्यापार के राज्य के मुखिया, श्रीजय प्रकाश एम0 एस0 ने डिजिटल भुगतान में जालसाजियों– नवीनतम रूझान और इससे बचने के उपायों पर बात की। इसके पश्चात्, सत्र में प्रश्न और उत्तर सत्र आयोजित किया गया।

5. वेबिनार में विख्यात इंजीनियरिंग महाविद्यालयों से संकाय सदस्यगण और छात्रों, विधिक महाविद्यालयों, प्रबंधन और व्यापार संस्थानों, उपभोक्ता पक्ष समर्थक समूहों (सीएजी), राज्य/ केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विभागों से अधिकारीगण, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं ने व्यापक भागीदारी की।

6. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री संजीव बैजल, सलाहकार (सीए एंड आईटी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, से दूरभाष नम्बर 011–23210990 अथवा ई–मेल आईडी : advisorit@ trai.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

ह0/–

(एस0 के0 गुप्ता)

सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।